रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 1973/अग्रहायण 6, 1895
No. 281] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 1973/AGRAHAYANA 6, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 27th November, 1973.

G.S.R. 507(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise[s] and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (12th Amendment) Rules, 1973.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in Chapter V, in section E-XI, in rule 96-ZUU, the words "or had at any time during the calendar year preceding the date of application installed," shall be omitted.

[No. 202/73-CE.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पादकशुल्क

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1973

सा०का०नि० सं० 507 (अ)—केन्द्रीय उत्पादशुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पादशुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1973 है ।

2. केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के अध्याय 5 में, धारा ङ—XI में, नियम 96 य प प में से "या जिसने आवेदन की तारीख के पूर्ववर्ती कलेण्डर वर्ष के दौरान किसी समय प्रतिष्ठापित की है" शब्द विलोप किये जाएंगे ।

[सं० 202/73-कें०उ०]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973